

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर

क्रमांक : रसद/जो.11/शॉप/विज्ञप्ति/2025/राजकाज रेफ.

दिनांक:-27.11.2025

—:विज्ञप्ति:—

सावर्जनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यालय जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर की रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17(1)खावि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशानिर्देशों के तहत सशुल्क आवेदन-पत्र दिनांक 01.12.2025 से 22.12.2025 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर (जिला परिषद भवन), कलेक्टर परिसर, पावटा, जोधपुर से 100/- रूपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी रिक्तियों (नवसृजित सहित) का 30 प्रतिशत महिलाओं (बेरोजगार) का क्षेत्रीय आरक्षण/वरीयता रखा गया है। रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स	शहरी/ग्रामीण	तहसील/नगरपालिका	ग्राम पंचायत/वार्ड	स्थान	रिक्त/नवसृजित	आरक्षण स्थिति
1	ग्रामीण	बालेसर	भाटेलाई पुरोहितान	भाटेलाई पुरोहितान	रिक्त	अनारक्षित
2		बिलाड़ा	कापरड़ा	कापरड़ा	नवसृजित	अनारक्षित
3			भैरुनगर	भैरुनगर	नवसृजित	महिला आरक्षित
4		औसिया	तापू	तापू	रिक्त	अनारक्षित
5			बारा खुर्द	बारा खुर्द	रिक्त	महिला आरक्षित
6			हाणियां	हाणियां	रिक्त	महिला आरक्षित
7			खिंदाकौर	मगरानगर	रिक्त	महिला आरक्षित
8			हनुमानसागर	हनुमानसागर	रिक्त	अनारक्षित
9			प्रतापनगर	प्रतापनगर	रिक्त	अनारक्षित
10		तिंवरी	तिंवरी	तिंवरी	रिक्त	अनारक्षित
11		शेरगढ़	सुवालिया	सुवालिया	रिक्त	अनारक्षित
12			गजेसिंह नगर	गजेसिंह नगर	रिक्त	अनारक्षित

आवेदन पत्र आवेदनकर्ता स्वयं द्वारा इसी कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 22.12.2025 तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में जमा कराये जा सकेंगे। निर्धारित तिथी पश्चात किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपर्युक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खावि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा तथा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में समय समय पर जारी दिशानिर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी।



दिनांक 17.03.2016 व 25.11.2020 के दिशा निर्देश तथा रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय द्वितीय, जोधपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्धि/निरस्त एवं स्थान परिवर्तन या संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्ति एवं संशोधन का अंतिम निर्णय जिला कलक्टर (रसद) का होगा।

(अश्विनी गुर्जर)
जिला रसद अधिकारी (द्वितीय)
जोधपुर

क्रमांक : रसद/जो.॥/शॉप/विज्ञप्ति/2025/राजकाज रेफ.

दिनांक:-27.11.2025

प्रतिलिपी: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव प्रथम/द्वितीय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति खाद्य विभाग की वेबसाईट www.food.raj.nic.in पर अपलोड कराने बाबत।
5. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर।
6. माननीय सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र जोधपुर/पाली।
7. माननीय विधायक महोदय, शेरगढ़/औसिया/भोपालगढ़/बिलाड़ा
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन करावें।
9. ए.सी.पी. सूचना एवं तकनीकी विभाग, जोधपुर को उक्त आदेश जोधपुर जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
10. उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़/औसिया/बालेसर/बिलाड़ा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
11. विकास अधिकारी औसिया/तिंवरी/बालेसर/शेरगढ़/बिलाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु अधीनस्थ कार्मिक को निर्देशित करें।
12. अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका बिलाड़ा/पीपाड शहर
13. प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जोधपुर।
14. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक कार्यालय हाजा।
15. समस्त गैर सरकारी सदस्य उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति, तहसील औसिया/बालेसर/तिंवरी/शेरगढ़/बिलाड़ा।
16. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी (द्वितीय)
जोधपुर